

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान
अशोक कुमार बनाम् टेकसिंह आदि

करण संख्या-45/2019

करण-अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

प्रादेश तारीख	आदेश का विवरण गय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
---------------	---	-----------------------------------

19-05-19

आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना-पत्र धारा 212 आरटीए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का महनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रश्नगत भूमि वाके चक-1 वीएनएम का पत्थर संख्या-330/398 मु.नं.-6 का किला नं-1ता3 कुल 0.759 हैक्टर कृषि भूमि का आगामी तारीख पेशी तक रहन,वैय के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक-18/06/2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

7/6/19

आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना-पत्र धारा 212 आरटीए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का महनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रश्नगत भूमि वाके चक-1 वीएनएम का पत्थर संख्या-330/398 मु.नं.-6 का किला नं-1ता3 कुल 0.759 हैक्टर कृषि भूमि का आगामी तारीख पेशी तक रहन,वैय के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक-18/06/2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़